न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:- श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या :- 01/2022

अपीलान्टान	बनाम	रेस्पोडेन्टान
1. सायरी देवी पत्नी अनोप नाथ 2. शारदा पत्नी सूरज नाथ जाति कालबेलिया निवासीगण चौपड़ा तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. सरपंच, ग्राम पंचायत चौपड़ा 2. ग्राम विकास अधिकारी, ग्रान पंचायत चौपड़ा, तहसील सोजत जिला-पाली, (राजस्थान)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध ना.स. 1623 के रजिस्ट्रेशन संख्या 201903216103162 दिनांक 18.11.2019 ग्राम पंचायत चौपड़ा द्वारा स्वीकृत को अपास्त करने बाबत्

तारीख रजू :- 15.02.2022

उपस्थिति:-

1. श्री महेन्द्र चौधरी, अधिवक्ता अपीलान्टान उपस्थित।

-: निर्णय :- दिनांक - 02.11.2022

अधिवक्ता अपीलान्टान ने एक राजस्व अपील विरुद्ध रेस्पोडेन्टान अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि सरहद मौजा चौपड़ा तहसील सोजत में खसरा संख्या 431 रकबा 1.4800 हैक्टर की कृषि भूमि पंकज पुत्र पप्पुराम जाति मेघवाल के नाम की खातेदारी की आई हुई है। उक्त आराजी कृषि भूमि में से 0.7400 हैक्टर कृषि भूमि को जरिये बेचान रजिस्ट्री दिनांक 18/11/2019 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि उक्त कृषि भूमि के खरीद करने के बाद बेचान रजिस्ट्री के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करवाने हेतु पटवारी हल्का को प्रति दी गई थी। उक्त नामान्तकरण संख्या 1623 ऑन लाईन रजिस्ट्रेशन किया गया। जिसके रजिस्ट्रेशन संख्या 201903216103162 दिनांक 18/11/2019 है। उक्त नामान्तकरण दर्ज करते समय सहवन एवं भूल वश सम्पूर्ण खाता अपीलान्ट के नाम दर्ज करते हुए अपीलान्ट का हिस्सा सहित दर्ज किया गया। जो गलत दर्ज हुआ है। जबकि उक्त बेचान रजिस्ट्री में बेचान की गई कृषि भूमि के पड़ौस दर्शित होने से खसरा संख्या 431 रकबा 1.4800 हैक्टर में से 0.7400 हैक्टर कृषि भूमि ही अलग से दर्ज की जानी चाहिए थी तथा अलग से खसरा संख्या 431 के बट्टा संख्या दर्ज किये जाने चाहिए थे, चूकि सामलाती हिस्सानुसार दर्ज हो जाने की वजह से सम्पूर्ण रकबा अपीलान्ट के नाम दर्ज हो गया है। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तकरण सहवन से गलत दर्ज हो जाने से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो जाने से खसरा संख्या 431 रकबा 1.4800 हैक्टर अपीलान्ट के नाम दर्ज हो गया। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तकरण को अपास्त किया जाना कानूनन् आवश्यक एवं न्याय संगत है। पटवारी हल्का के द्वारा सहवन से सम्पूर्ण खाता अपीलान्ट के नाम दर्ज कर देने से उक्त नामान्तकरण को सरपंच ग्राम पंचायत चौपड़ा के द्वारा स्वीकृत कर दिया गया, जबकि अपीलान्ट के द्वारा उक्त कृषि भूमि में से 0.7400 हैक्टर कृषि भूमि ही खरीद की गई है। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तकरण खारिज किया जाकर पुनः नामान्तकरण बेचान रजिस्ट्री के आधार पर दर्ज करवाया जाना कानूनन् आवश्यक एवं न्याय संगत है। उक्त नामान्तकरण सरपंच ग्रान पंचायत चौपड़ा के द्वारा स्वीकृत करने से यह अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की होने से न्यायालय के समक्ष पेश की हैं। इस प्रकार राजस्व अपील मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1623 के रजिस्ट्रीकरण संख्या 201903216103162 दिनांक 05/10/2020 का ग्राम पंचायत चौपड़ा द्वारा स्वीकृत

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

किया है, को निरस्त फरमाया जावें एवं बेचान रजिस्ट्री दिनांक 18/11/2019 के आधार पर नामान्तकरण दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टान को जरिए सम्मन्स तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 बावजूद तामिली/सुचना बार–बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस अधिवक्ता अपीलांट सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलांट ने व्यक्त किया कि सरपंच ग्राम पंचायत चौपड़ा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1623 के रजिस्ट्रीकरण संख्या 201903216103162 दिनांक 05/10/2020 का ग्राम पंचायत चौपड़ा द्वारा स्वीकृत किया है, को निरस्त फरमाये जाने एवं बेचान रजिस्ट्री दिनांक 18/11/2019 के आधार पर नामान्तकरण दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस वकुलाय, तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा सरपंच ग्राम पंचायत चौपड़ा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1623 के रजिस्ट्रीकरण संख्या 201903216103162 दिनांक 05/10/2020 अवैध एवं विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है, जिससे अपील अपीलान्टान स्वीकार किया जाना, उक्त नामान्तरकरण खारिज किया जाना तथा तहसीलदार, सोजत को पुनः जांच कर नामान्तकरण बेचान रजिस्ट्री के आधार पर पारित करने हेतु प्रति प्रेषित किया जाना उचित समझते है।

–: **आदेश** :–

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला पाली (राज.)

अतः अपील अपीलान्टान स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अपीलान्ट नामान्तरकरण संख्या 1623 के रजिस्ट्रीकरण संख्या 201903216103162 दिनांक 05/10/2020 विधि–विरूद्ध होने से खारिज किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती हैं कि वे पुनः जांच कर नए सिरे से बेचान रजिस्ट्री दिनांक 18/11/2019 के आधार पर नागान्तकरण पारित करें। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

यह निर्णय आज दिनांक 02/11/2022 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज